कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल– rcs.coop@nic.in

क्रमांक / साख / 2015–16 / 1971 नया रायपुर, दिनांक 20 / 04 / 2015

प्रति,

अध्यक्ष / प्राधिकृत अधिकारी / प्रबंध संचालक /
मुख्य कार्यपालन अधिकारी / प्रबंधक

.....

.....

जिला ..... (छ.ग.)

द्वारा :–संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक (समस्त)
सहकारी संस्थाएं,
जिला .....(छ.ग.)

विषय :– सहकारी समितियों के डाटा संकलन के संबंध में।

––00––

ग्राम अर्थव्यवस्था के पुर्ननिर्माण तथा विकास संबंधी योजनाओं की सफलता बहुत हद तक जनता के सहयोग और सहकार पर निर्भर है ऐसे सहयोग तथा सहकार प्राप्त करने में सावधानी आवश्यक है यह कार्य मुख्यतः उस क्षेत्र के अशासकीय नेतृत्व पर निर्भर होती है। अतः यह आवश्यक है कि सहकारी संस्थाओं के निर्माण तथा बुनियाद मजबूत हो इस कार्य के लिए सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए / जुड़ने वाले प्रत्येक सदस्य के संबंध में पर्याप्त जानकारी का संकलन सदस्य हित, व्यापक जनहित व विभिन्न कानूनो के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 56 (1) में भी पंजीकृत समितियों से समय–समय पर रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित जानकारी दिये जाने संबंधी प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अनुपालन में आपके द्वारा जिले के उप / सहायक पंजीयक को जानकारी प्रस्तुत की जाती है।

प्रदेश में पंजीकृत साख सहकारी संस्थाओं (जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक / नागरिक सहकारी बैंक) में से कुछ सहकारी संस्थाओं में बैकिंग रेगुलेशन एक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने, केवाईसी मानदंडो का पालन न होने से बोगस एवं बेनामी खातो के संचालन द्वारा लेन देन के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों इत्यादि के माध्यम से संज्ञान में आया है। इसके अलावा सामान्यतः यह भी देखने में आता है कि असाख सहकारी समितियों में प्राथमिक कृषि / अकृषि साख पंजीकृत होने के पश्चात कार्य ही प्रारंभ नहीं करते, पंजीकृत पते पर कार्य न करना एवं समिति बंद होने पर जानकारी प्राप्त होने में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु समिति के संचालक मंडल के साथ साथ सभी सदस्यों / अमानतदारो / देनदार के पहचान के लिए यह आवश्यक है कि समस्त सहकारी संस्थाओं के संबंध में उनके सदस्यों / अमानतदारो / देनदार के पहचान हेतु पर्याप्त दस्तावेज संस्था में संधारित हो तथा इस संबंध में संस्थाओं की जानकारी संलग्न प्रारूप में जिले के उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं के पास संधारित रहे ।

अतः उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए व्यापक जनहित में सभी बैंकिंग सहकारी संस्थाए संलग्न "के वाय सी" का मानदंडो का पालन एवं अन्य साख/असाख सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों/नाममात्र सदस्यों की जानकारी यथा "के वाय सी" के अनुरूप मापदंडो का पालन करते हुए संलग्न प्रारूप में जानकारी 15 दिवस के भीतर विगत पॉच वर्षो की जानकारी जिले के उप/सहायक पंजीयक को Excel फारमेंट एवं DevLys 010 फान्ट में सीडी सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, तथा भविष्य में यह भी ध्यान रखें कि नए खातेंदार /सदस्य संख्या में वृद्धि होती है तो अद्यतन स्थिति से जिला अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

17.4.15
(अविनाश चम्पावत)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक/साख/2015–16/ 1971 नया रायपुर, दिनांक 20 /04/2015

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सचिव, छ.ग. शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं ..... की ओर प्रेषित कर लेख है कि समितियों को सम्बोधित पत्र आपके संभाग/जिले में पंजीकृत समस्त सहकारी संस्थाओं को तामिली करावे। संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्राप्त करने, प्राप्त जानकारी का आपके अधिनस्थ कर्मचारी/अधिकरियों से परीक्षण करवाकर समस्त संस्थाओं की जानकारी एक माह के भीतर संकलित कर अद्योहस्ताक्षर अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। बैंकिग सहकारी संस्थाएं एवं अन्य साख /असाख सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों/नाममात्र सदस्यों से के.वाई.सी.के मानदण्डों का पालन नहीं करने तथा संलग्न प्रारूप में निधारित समयवाधि जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध छ0ग0 सहकरी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जावें।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़

आपने ग्राहक को जानिए मानदण्ड (KYC) का सार :–

1- KYC मानदण्ड के उद्देश्य :–

1.1 बैंकिग आपरेशन कालेधन को वैध और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिम के लिए अतिसंवेदनशील होते है के कम में धन को वैध, किए जाने हेतु बैंकों में इस प्रकिया का उपयोग कर रहे है। इसके प्रभावी उपयोग के लिए, यह जरूरी है कि वे अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से जाने।

आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला :–

1.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ मानकों जो हमारे बैंक ग्राहकों की पहचान और स्वीकृति के लिए हमारे साथ व्यापार संबंध है पर एक नीति तैयार की है के आधार पर निर्दिष्ट किया गया है। हमारी शाखाओं/समितियों को उनके ग्राहक संबंध और लेनदेन पर दस्तावेज बनाए रखने के लिए पैसे लॉन्ड्रिंग अधिनियम और अन्य कानूनों और विनियमों की रोकथाम के प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है।

1.3 बैंकिग धारा 35 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा KYC दिशा निर्देश जारी किया गया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के तहत जारी किया गया है, और उसको किसी भी प्रकार से उल्लंघन अधिनियम की प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दण्ड को आकर्षित करेगा। इस प्रकार, बैंक पूरी तरह से KYC प्रकियाओं के प्रावधानों के अनुरूप हो गया है।

1.4 KYC के अंतर्गत ग्राहक को खाता खोलने का उद्देश्य कारण, आय का स्त्रोत कारोबर के शुद्ध लाभ हानि की जानकारी देना आवश्यक है। उम्मीद परिश्रम खाते में एक खाता प्रत्याशित कारोबार खोलने और खाते में धन बह के खाते स्त्रोत खोलने व्यक्ति के धन के स्त्रोतों (निवल मूल्य) के लिए उद्देश्य और कारण में जो शामिल है।

2. ग्राहक स्वीकृति :–

एक संभावित ग्राहक के साथ व्यापार संबंधों को शुरू करने से पहले

2.1 बैंक करने के लिए सुनिश्चित करें कि ऐसे रिश्ते, किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन तो नही करता, और अपने ग्राहक स्वीकृति सिद्धांतों अर्थात खिलाफ तो नहीं जाता है।

i. कोई खाता अनाम–बेनामी/ या काल्पनिक नाम अथवा नामों पर तो नहीं खोला जा रहा है और

ii. ग्राहक को उनके व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति की अवधि में जोखिम धारणा, ग्राहक और उनके ग्राहक के स्थान के भुगतान की विधा, कारोबार, सामाजिक और वित्तीय स्थिति आदि की जानकारी के आधार पर वर्गीकृत किया जावे।

2.2 एक ग्राहक प्रोफाइल ग्राहक के सामाजिक/वित्तीय कारोबार गतिविधि की स्थिति प्रकृति, अपने ग्राहक के व्यापार के बारे में जानकारी और उनके निवास स्थन, निधि के स्त्रोत, वार्षिक आय के संबंध में जानकारी सहित (निर्धारित प्रारूप में) प्रारंभ में प्राप्त किया जाएगा। यह जानकारी बचत खाता/करेंट खाता/मीयादी जमा खातों को खोलने के लिए सभी आवेदनों से लिया जावेगा।

2.3 ग्राहक प्रोफाइल निम्नानुसार आवधिक आधार पर, अद्यतन किया जावे :–

A. कम जोखिम वाले ग्राहकों से – तीन साल में एक बार।

B. मध्यम जोखिम वाले ग्राहक से – प्रत्येक वर्ष।

C. उच्च जोखिम वाले ग्राहक से – प्रत्येक वर्ष।

नोट :–हालांकि, यह समयावधि केवल संकेतात्मक है और जहाँ भी आवश्यक हो अद्यतन क्रियाकलापों या आवृत्तियों, गतिविधियों, खाते में लेन–देन के अनुसार पर भी किया जा सकता है।

3. ग्राहक पहचान :–

3.1 ग्राहक पहचान का मतलब है ग्राहक कि पहचान करने और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्त्रोत, दस्तावेजों, डेटा या जानकारी का उपयोग करके उसका/उसकी/अपनी पहचान की पुष्टि करना।

3.2 ग्राहक पहचान विभिन्न चरणों में किया जाता है जबकि बैंकिग संबंध स्थापित करने, या वित्तीय लेनदेन प्रारंभ करने या जब शाखा/समिति को प्रामाणिकता/सच्चाई या पहले से प्राप्त ग्राहक पहचान डेटा की पर्याप्तता के बारे में कोई संदेह है।

3.3 एक खाता खोलने के लिए, आम तौर पर ग्राहक/व्यक्ति को बैंक में आना चाहिए। एक खाता आम तौर पर बैंक अधिकारी और ग्राहक के बीच एक बैठक के बिना नहीं खोला जाएगा।

3.4 शाखाओं/समितियों को अपनी संतुष्टि के लिए अर्थात् पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक नए ग्राहक से पहचाने स्थापित करने की जरूरत है। यह कार्य नियमित रूप से या कभी–कभी और बैंकिग रिश्ते के अनुरूप किया जावेगा।

3.5 दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रकिया द्वारा एक पूरी तरह से एक संभावित जमाकर्ता, परिचयकर्ता, उधारकर्ता और जमानतदार और अन्य श्रोता की पुष्टि से साथ एक Meeting (बातचीत) होना आवश्यक है। जहॉ भी यह आवश्यक है, एक विचारशील सत्यापन भी पार्टियों की साख के बारे में बनाया जाएगा जिसमें उनके व्यापार क्षमता आदि का आंकलन किया जावेगा।

3.6 एक ग्राहक की पहचान और उसकी/उसके साख सत्यापित करने की प्रकिया एक छिद्रान्वेषी (गोपनीय) कार्य नहीं है, लेकिन एक बेहतर ग्राहक संबंध है जो कि बैंक के पारस्परिक हित के रूप में/के रूप में अच्छी तरह से ग्राहक की रक्षा कर सकते है बनाने के चाहिए।

4. **<u>खाते खोलने के लिए ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला पहचान दस्तावेज।</u>**

4.1 शाखाओं /समितियों के लिए दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए पूछना होगा–

a. ग्राहक की पहचान,उसकी /उसके पते, स्थान और–

b. उसकी/उसके हाल ही का नवीनतम (फोटो)

4.2 **कम जोखिम श्रेणी के तहत व्यक्तियों के खातों के लिए,** निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार किए जाते है।

a. **अकेले खाता खोलने के फार्म पर एवं पासपोर्ट** पर पता/पते के रूप में एक ही पता अंकित हो।

या

b. पहचान के लिए सूची में नीचे, अंकित या देखते हुए प्रत्येक में से कोई एक (नवीनतम/हाल ही में)
दस्तावेज और निवास/पते के सबूत होने चाहिए।

व्यक्ति /व्यक्तियों के पहचान के लिए

1. पासपोर्ट जिसमें पता अंकित है।
2. मतदाता पहचान पत्र ।
3. पैन कार्ड।
4. ड्राइविंग लाइसेंस।
5. सरकारी/रक्षा आईडी कार्ड।
6. प्रतिष्ठित नियोक्ताओं के आई डी कार्ड

निवास की पृष्टि के लिए

1. टेलीफोन बिल।
2. बैंक खाता कथन।
3. Income/Wealth सम्पत्ति कर निर्धारण आदेश।
4. क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट।
5. बिजली बिल।
6. राशन कार्ड।

7. एक मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकारी प्रमाण की पुष्टि का या शासकीय सेवा के अधिकारी	7. ग्राहकों की पहचान और निवास पत्र। नियोक्ता का प्रमाण पत्र/शासकीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित।

अपनी संतुष्टि के अधीन खाता खोलने

नोटः– दस्तावेजो की मूल सत्यापन कापी विधिवत की पृष्टि हेतु अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिसे खाता खोलने के फार्म के साथ – साथ रखा जाएगा।

4.3 संयुक्त खातों के मामले में, आवेदकों को स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान और पते की अलग–अलग प्रमाण (स्थापना) की आवश्यकता है।

4.4 प्रकरण में.....या अधूरा पता स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए

4.5 मध्यम /उच्च जोखिम वाले ग्राहकों की सामान्य कम जोखिम ग्राहक के लिए ऊपर निर्धारित दस्तावेज के अलावा सम्मान में, शाखाओं में अतिरिक्त जानकारी और नीचे लिखे उल्लेखित के रूप में दस्तावेजी सबूत की मांग करेगा। ग्राहकों को अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज खातों के प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करना होगा।

i. अनिवासी खातों खोलने के लिए परिचय हेतु संयुक्त राष्ट्र पासपोर्ट और/या अन्य सार्वजनिक बैंक/भारत दूतावास/नोटरी/खाता खोलने के लिए संबंधित शाखा में पूर्व से खाता संपादित करने वाले खाता धारक द्वारा प्रमाणिकरण।

ii. मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणियों के तहत् अनिवासी भारतीयों के अलावा अन्य के खाते खोलने के लिए एक मौजूदा खाता धारक द्वारा या एक बैंक के लिए जाना जाता व्यक्ति (परिचित व्यक्ति) द्वारा जिसका बैंक/शाखा में पूर्व से खाता संचालित हो।

सूचनाः–

iii सूचना जोखिम श्रेणियों में मौजूदा खातों के लिए।

iv खातों की सभी जोखिम में व्यक्तियों के अलावा अन्य के लिए——

4.6 ग्राहक जो कानूनी व्यक्तियों या संस्थाओं (यानी व्यक्तियों के अलावा अन्य) के लिए, शाखाओं कानूनी उचित और प्रासंगिक दस्तावेजों के माध्यम से व्यक्ति/संस्था की कानूनी स्थिति को सत्यापित करेगा.

a. यह सत्यापित करें कि किसी भी व्यक्तियों को कानूनी व्यक्ति/संस्था विधिवत अधिकृत है और ऐसे व्यक्ति (यों) की ओर से कार्रवाई तात्पर्यित ठीक कर रहे हैं/कार्यवाही करने के लिये अधिकृत हैं। दस्तावेज बुलाकर/मांग कर (के रूप में व्यक्ति कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिये उपर सूचीबद्व) के द्वारा पहचान की जावे और पहचान सत्यापितकर्ता व्यक्तियों का भी पहचान किया जावे ।

ग्राहक के स्वामित्व और नियंत्रण संरचना को समझते हैं और उन प्राकृतिक व्यक्ति जो अंततः कानूनी व्यक्ति नियंत्रण निर्धारित ।

5- पैन उद्वृत :–

5.1 आयकर 1962 नियमों के नियम 1148 के अनुसार खंड (सी) के रूप में यह अनिवार्य है कि ग्राहकों को खाता खोलने के रूप में सीमा से अधिक जमा करने के लिए संबंधित को–व्यक्तियों के लिये पैन (स्थायी खाता संख्या) या जी.आई.आर. (सामान्य सूद सूचक रजिस्टर) रू. 50,000 और अन्य सभी प्रकार के खाते खेलने के लिए आवश्यक है ।

5.2 या ऐसे मामले जहां पैन या जीआईआर संख्या में आबंटित नहीं किया गया है व्यक्ति को एक आयकर निर्धारिती, सं फार्म 60 या 61 के रूप में एक घोषणा करना होगा । जैसा भी मामला हो, बैंक को दी जानी चाहिए ।

6. तस्वीरें का प्रस्तुती (फोटाग्राफ)

6.1 व्यक्ति/व्यक्तियों को एकमात्र स्मामित्व वाले मामले स्वयं/संबंधित को फोटोग्राफ की दो प्रतियां चालू खाता खोलने के लिए आवेदन, निविदा, बैंक को दी जानी चाहिए ।

6.2 ऐसे मामले जहां खातों में भागीदारी के लेखा, लिमिटेड कंपनियों, क्लब, संघों, समाज, ट्रस्ट संस्थाओं, आदि के लिए व्यक्ति/व्यक्तियों की तस्वीरें जो खाते को संचालित करने के लिये अधिकृत किया गया है, और एचयूएफ की तस्वीर के मामले में शामिल होने के लिए सहमति प्राप्त किया जाना चाहिए।

6.3 अवधि जमा के मामले में तस्वीर की एक प्रति जमा एक खाता के साथ या चालू खाता बचत खाता में अलग–अलग प्राप्त किया जाएगा।

6.4 उपरोक्त प्रावधानों/गैर निवासियों सहित जमाकर्ताआसें की सभी श्रेणियों के लिए लागू होगा ।

7. खातों में बैंक/समितियों का परिचय (बैंक/समिति द्वारा खाते का परिचालन) :–

7.1 यह जरूरी है कि बैंक INTRODUCER को पूरी तरह से संभावित खाता धारक जिसे वह एक पर्याप्त लंबे समय के लिए शुरू होता है पता होना चाहिए है INTRODUCER

पहचान करने के लिए या अपने व्यक्तिगत ज्ञान से खाता धारक के बारे में और जो ब्यौरे देते हैं, स्वीकार किया जाना चाहिए ।

7.1 परिचयकर्ता व्यथ्कत को उसकी जिम्मेदारी एवं कर्तव्य के बारे में खाता प्रारंभ करने के पूर्व मौखिक/लिखित में सूचित किया जावें। जब वहाँ एक आगे की तारीख में किसी भी अवसर पर भुगतान करने में सक्षम होने की स्थिति में होना चाहिए।

7.2 या Introducer के साथ वार्ता/जांच करें है ताकि वह/एक खाते शुरू करने की अपनी जिम्मेदारी और निहितार्थ के बारे में जान सके, उसे सूचित किया जा सकता है।

7.3 खाता खालते समय परिचयकर्ता व्यक्ति या संस्था के उपस्थित होने पर ग्राहक, द्वारा खाता प्रारंभ करने हेतु धनादेश/ ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर उसके भुगतान पुष्टिकरण के पश्चात् ही खाता खोला जावेगा।

8. **आवेदक के खातों को खोलने के लिए अस्वीकृति :–**

8.1 ग्राहक जहां बैंक में अपनी उपर्युक्त पहचान प्रस्तुत करने में असमर्थ है । या ग्राहक को जोखिम वर्गीकरण के अनुसार जानकारी देने में असमर्थ है । ऐसी स्थिति में बैंक/समिति में खाता नहीं खोला जावेगा ।

9. **के. वाई. सी. प्रकिया में छूट :–**

9.1 के.वाई.सी प्रकिया में निर्धारित शर्तों के आधिन परिचय के संबंध में छूट दी जा सकती है। के.वाई.सी प्रकिया कुछ निर्धारित शर्ते के अधीन में एक परिचय की स्वीकृति के लिए संदर्भित करता है।

9.2 कम आय वर्ग के ग्राहक NO FILL श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिये यह छूट लागू होता है जैसेः– अकाल, सुनामी, चकवात, प्रकृति आपदाओं, आदि से प्रभावित व्यक्तियों के लिए ।

9.3 निम्न आय समूह ग्राहक जिनके खाते में मुददती/बचत/चल खाता में रूपये 50000.00 रूपये का जमा या वर्ष में कुल जमा रूपये 100000.00 रूपये से अधिक रखने की उम्मीद नहीं है।

जो परिचय पूर्ण के.वाई.सी.प्रक्रिया के अधीन किया गया है तथा एक और खाता धारक से एक प्रेरण (परिचय)(केवाईसी दस्तावेजों के एवज में)दी जानी चाहिए।

बैंक के साथ Introducer के खाते कम से कम छह महीने पुरानी हो और व्यवहार संतोषजनक होना चाहिए।

ग्राहक की तस्वीर जो खाते और अपने खाता खोलने के प्रस्ताव के साथ Introducer द्वारा प्रमाणित करने जरूरत है।

9.5 जब समय के किसी भी बिंदु पर, उसकी/उसके सभी खातों में कुल राशि (एफडीआर/बचत खाता /चालू खाता) बैंक में जमा कराए गए रूपए पचास हमार (50000 रूपये) से अधिक या सभी खाते में कुल क्रेडिट संकलन/नगद जमा एक साल में रूपये एक लाख (100000 रूपये) तक हो, आगे कोई लेन–देन में पूरा–पूरा हो तथा के.वाई.सी. प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही अनुमति दी जाएगी।

10. **भारत के भीतर राशि प्रेषण के लिए के.वाई.सी. मानदंडः–**

10.1 उसके अंतर्गत यात्री चेक, डिमांड ड्राफ्ट,मेल हस्तांतरण, टेलीफोन हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण और रूपये की अन्य प्रेषण का भुगतान 50,000 एवं इससे अधिक का भुगतान ग्राहकों के खातों में डेबिट/क्रेडिट द्वारा केवल नगद और चेक द्वारा ही किया जा सकता है।

10.2 इसके अलावा, ग्राहक के आवेदन पर राशि 50,000 या उससे अधिक के लेन–देन के लिए आवेदक को(स्थायी खाता नम्बर) पैन नम्बर (स्थायी खाता आयकर प्राधिकरण द्वारा आबंटित संख्या) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

11 **ग्राहकों के असहयोग पर खाता बंद करनाः–**

11.1 ग्राहक द्वारा बैंक/समिति को वांछित एवं विश्वसनीय जानकारी नहीं देने पर, ग्राहक द्वारा सहयोग नहीं करने पर, गैर विशेष खाते के के.वाई.सी. मापदण्डों का पालन करने में सक्षम नहीं होने पर नोटिस देने के बाद ग्राहक को उपर्युक्त कारणों से अवगत कराये जाने के पश्चात् खाता बंद किया जा सकता।